



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267518
CG-DL-E-10112025-267518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 324]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

वस्त्र मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

फा. सं. 12014/01/2024—एमएमएफ (भाग-I) से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I — खण्ड 1 में प्रकाशित हुई थी, में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

- पृष्ठ संख्या 2, पैराग्राफ संख्या 3.1 की पंक्ति संख्या 2 में, " योजना " के स्थान पर "संयंत्र" पढ़ा जाए।
- पृष्ठ संख्या 2, पैराग्राफ संख्या 3.1 की पंक्ति संख्या 3 में, "300 करोड़ रुपये" के स्थान पर "150 करोड़ रुपये" पढ़ा जाए।
- पृष्ठ संख्या 2, पैराग्राफ संख्या 3.2 की पंक्ति संख्या 2 में, " योजना " के स्थान पर "संयंत्र" पढ़ा जाए।

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd November, 2025

Following amendments are made in the Notification F.No. 12014/01/2024-MMF (Part-I) dated 9th October 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I – Section 1 of the Ministry of Textiles, Government of India,:

- In page No. 2, paragraph No. 3.1, line No. 2, “Plan” may be read as “Plant”.
- In page No. 2, paragraph No. 3.2, line No. 2, “Plan” may be read as “Plant”.

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.